न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
क्षेत्र अधिकारी — जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
वाद नम्बर—109/2017 राजस्व वाद
श्रीमती हगामी पुत्री भूरा खटीक माता गांगा खटीक आयु वयस्क निवासी— गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— वादीया

बनाम

1. धर्मा पुत्र श्री मांगू खटीक आयु वयस्क निवासी— गरवाय तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
2. आशु पुत्र श्री नगजी खटीक आयु वयस्क निवासी— गरवाय तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
3. बरदा पुत्र श्री नगजी खटीक आयु वयस्क निवासी— गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
4. गणेश पुत्र श्री नगजी खटीक आयु वयस्क निवासी— गरवाय तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
6. उपपजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादपत्र अन्तर्गत धारा— 88,89,92 क,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

स्थित :—
ो मुकेश कुमार जैन
एकपक्षीय—
रोकार सरकार

—अधिवक्ता वादीया
——प्रतिवादीगण संख्या 01 से 4
—प्रतिवादीगण संख्या 05 एवं 06
दिनांक—11.08.2025

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने प्रतिवादीगणगण के विरूद्व वाद बाबत घौष
स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 89,92—क 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय
किया कि वादीया गांगा पुत्री श्री नंगजी पत्नी श्री भूरा खटीक निवासी— गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवा
ा0) की जायन्दा पुत्री है तथा वादीया गांगा पुत्री श्री नंगजी पत्नी श्री भूरा खटीक के अलावा अन्य कोई वारी
उत्तराधिकारी नही है। वादीया ही एकमात्र वारीस व उत्तराधिकारी है। सरहद गरवाय पटवार हल्का गोरधनपु
मे पटवार हल्का चिताम्बा) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 1359/859 तैरह
ाठ/आठ सौ उनसाठ रकबा 04 चार बीघा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादीगण संख्या
लगायत 04 चार के नाम पर दर्ज है। वादपत्र की चरण संख्या 02 दो मे वर्णित आराजियात वादीया की म
ती गांगा पुत्री श्री नंगजी पत्नी श्री भूरा खटीक के नाम पर जमाबंदी संवत 2047 से 2050 मे दर्ज है तथा उ
जियात वादीया की पैतृक होकर वादीया का जन्म से हक अधिकार निहित है तथा वादीया गांगा पुत्री नंग
ाक की जायन्दा पुत्री है तथा वादीया की माता गांगा के देहान्त के पश्चात वादीया उक्त आराजी की एक
क होकर उक्त आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। वादीया वादपत्र
ा संख्या 02 दो मे वर्णित आराजियात वादीया की माता श्रीमती गांगा को सरकार द्वारा आवंटन की गयी,
वादीया की माता काबिज थी व उनके देहान्त उपरान्त वादीया उक्त आराजियात पर काबिज होकर उ
योग उपभोग करती चली आ रही है। दिनांक 10 दस जून 2013 दो हजार तैरह को प्रतिवादीगण संख्या 01
ायत 04 चार मौके पर आये व वादीया को जबरन बेदखल करने लगे व आराजियात को खुर्द बुर्द करने की
ो, इस पर वादीया ने प्रतिवादीगणगण को कहा कि उक्त आराजियात वादीया की माता की होकर वादीया
राजी की एकमात्र मालिक होकर काबिज है, जिससे प्रतिवादीगणगण ने वादीया को कहा कि वादीया की
ा के देहान्त उपरान्त उन्होने उक्त आराजियात को अपने नाम पर दर्ज करवा ली है, इस कारण से वादीय
खल करके रहेगे व आराजियात को किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द करके रहेगे। वादी
जस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो पता चला कि प्रतिवादीगण सख्या 01 लगायत 04 चार जो कि वादी
मा व ममरे भाई है, जिन्होने वादीया की अपनी आराजियात से महरूम करने की गरज से राजस्व कर्मचारी

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर करेड़ा